

बिहार राज्य सहयोग कय-विकय संघ सीमित, पटना।

(बिस्कोमान)

आदेश

श्री रमेश चन्द्र लाल, लडाकू मंडार, पटना जब  
अधिप्राप्ति-केंद्र, लडाकू (औरंगाबाद) के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, तब मुख्यालय  
आदेशों तथा-झापांक-के0ले0बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं झापांक-बी/1783 दिनांक-14.12.  
2011 का उल्लंघन कर दिनांक-23.11.2011 के बाद बैंक खाता से ₹ 4,59,654.00 की  
अवैध निकारी करने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल के प्रभाव से निलम्बित  
किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में, इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।
2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय 92<sup>वीं</sup> क्षेत्रीय कार्यालय, बिस्कोमान,  
लाइब्ररी रोड,  
निर्धारित किया जाता है।
3. इनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग-से निर्गत किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

झापांक- १५०-२०२०५०-११-२४-३०१०-६-१-२०१५ दिनांक-

- प्रतिलिपि:-
1. श्री रमेश चन्द्र लाल लडाकू, लडाकू मंडार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार अपने जिम्मे का प्रभार सौंप देंगे।
  2. संबंधित प्रमंडलीय/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उनके जिम्मे का प्रभार अपने अधीनस्थ कार्मिक को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
  3. लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा/केन्द्रीय लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
  4. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
  5. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/एन0 डाटा ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
  6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव  
०६.१.१५  
६.१.१५